राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com दूरभाष न.:0141–2711978, 2711938

क्रमांकः प. 135/नि.अ.मा.वि./छात्रा. संचा./2020–21/पार्ट1/ 13099 जयपुर, दिनांकः 04/03/2021

आदेश

विषयः– सत्र 2020–21 की अवधि में जिला मुख्यालय बाड़मेर पर संचालित अनुदानित बालक छात्रावास की क्षमता में वृद्धि के संबंध में।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बाड़मेर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसरण में निम्न तालिका में अंकित अनुदानित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास की स्वीकृत क्षमता में अतिरिक्त सीट्स की वृद्धि किये जाने की अनुमति निम्नांकित प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	स्वीकृत छात्रावास (मुख्यालय/ ब्लॉक)	स्वीकृत छात्रावास का प्रकार/ क्षमता	विभागीय टिप्पणी	स्वीकृत छात्रावास की क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि (कुल क्षमता)
1.	जिला मुख्यालय बाड़मेर	बालक/ 40 बैडेड	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बाड़मेर की अभिशंषा, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एवं जिला मुख्यालय करौली में स्वीकृत 50–50 बालक–बालिकाओं की क्षमता का छात्रावास संचालित नहीं है न ही प्रस्ताव विचाराधीन है तथा जिला मुख्यालय, प्रतापगढ़ में स्वीकृत 50 बालकों की क्षमता का छात्रावास संचालित नहीं है न ही प्रस्ताव विचाराधीन है। इस कारण इन तीनों छात्रावासों की 150 सीट्स में 110 सीट्स जिला मुख्यालय बाड़मेर पर संचालित बालक छात्रावास को हस्तान्तरित की गयी है।	+ 110 (150)

शर्तें:–

1. उक्त उल्लेखित आवंटित की गई अतिरिक्त सीट्स शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिये ही प्रभावी रहेंगी।
2. उक्त आदेश की प्राप्ति के 7 दिवस की अवधि में आवंटित की गई अतिरिक्त सीट्स के विरूद्ध जिला प्रवेश समिति के द्वारा अनुमोदित प्रवेशार्थियों को ही छात्रावास में प्रवेशित किया जावे।
3. उक्त आदेश की पालना के फलस्वरूप छात्रावासों में अतिरिक्त प्रवेशित किये जाने वाले आवासियों की सूचना निदेशालय को भिजवायी जावे, ताकि अतिरिक्त प्रवेशित किये गये आवासियों को देय प्रावधान के अनुसार अनुदान राशि का आवंटन संबंधित जिला कार्यालय को किया जा सके।
4. शेष शर्तें यथावत रहेगी।

4.3.2021

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

कृ.पृ.उ.

क्रमांकः प. 135/नि.अ.मा.वि./छात्रा. संचा./2020-21/पार्ट1/ 13100-105 जयपुर, दिनांकः 04/03/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बाड़मेर को पालनार्थ।
6. सूचना सहायक को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(नसीम खान)
उपनिदेशक (द्वितीय)